न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

उनवान – विनोद कंवर बनाम अजय सिंह आदि

किस्म मुकदमा– आवेदन पत्र अ0 धारा 212 आरटीएक्ट मु.नं0– 64 वर्ष 2022

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।<br><br>वकील प्रार्थीया ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम सुजावास पटवार हल्का, सुजावास तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की आराजी खसरा नम्बर 167,168 कुल किता 02 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को पाबन्द किया जावें।<br><br>वकील अप्रार्थी संख्या 11 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम सुजावास पटवार हल्का, सुजावास तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की आराजी खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 02 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सह खातेदार को पाबन्द नही करने हेतु मेरी आपत्ति हैं।<br><br>हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिससे जाहिर हैं कि प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.9.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम सुजावास पटवार हल्का, सुजावास तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 02 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। मूल वाद वादीया के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया हैं। जिसमें मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया हैं। प्रकरण में दिनांक 7.11.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नही बढ़े, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता हैं।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि मूल वाद संख्या 79/2022 उनवानी विनोद कंवर बनाम अजय सिंह आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम सुजावास पटवार हल्का, सुजावास तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 167, 168 कुल किता 02 कुल रकबा 1.9900 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के संलग्न हो।<br><br>सहायक कलक्टर(मु0)सीकर | |